वित्त मंत्री

श्री लालजी वर्मा

का

2008-2009 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वर्ष 2008–2009 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री लालजी वर्मा का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2008–2009 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

प्रस्तुत बजट के साथ संविधान के अनुच्छेद 206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर व्यय के लिए दो मास का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे सदन को पूर्ण विचार–विमर्श के पश्चात् बजट पारित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सकेगा ।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2007–2008 का बजट प्रस्तुत करते समय माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्तमान सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि हमारी सरकार का लक्ष्य "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" के सिद्धान्त पर चलकर "समतामूलक–समाज–व्यवस्था" स्थापित करना है । उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि प्रदेश के पिछड़ेपन के कुचक्र को तोड़कर प्रदेश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास, शहरी विकास, रोजगार तथा भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना का विकास सरकार की प्राथमिकता है ।

हमारी सरकार का मानना है कि समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना साम्यवादी, समाजवादी या पूँजीवादी या किसी भी तरह की एकांगी दृष्टिकोण रखने वाली अर्थव्यवस्था के जरिये नहीं किया जा सकता है ।

इसलिए हमारी सरकार ने प्रदेश में एक नई मध्यम मार्गीय अर्थनीति लागू करने का निर्णय लिया है जिसका दृष्टिकोण किसी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होने के स्थान पर व्यवहारिक एवं यथार्थवादी है । "पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप" हमारी इस नई आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि सरकार के सीमित साधनों के कारण विकास में निजी क्षेत्र की पूँजी और कार्यकौशल का लाभ उठाना जरूरी हो गया है ।

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जिन सरकारी क्षेत्रों एवं उद्यमों में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकास: किया जायेगा, उनमें राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण आगे भी जारी रखा जायेगा और उनमें कार्यरत कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी। पूरे देश में पहली बार यह व्यवस्था की गई है जिसके सकारात्मक एवं दूरगामी परिणाम होंगे ।

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, अवस्थापना / सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं, विनिवेशित

इकाइयों इत्यादि में सरकार द्वारा कोई राज्य सहायता दिये जाने पर निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से होने वाले करारनामे में यह प्रावधान किया जायेगा कि उक्त परियोजनाओं में सृजित कुल रोजगार में से राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत आरक्षण दिया जायेगा जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा ।

मान्यवर, आप अवगत हैं कि देश के सभी राज्यों में मूल्य संवर्धित कर प्रणाली (वैट) वर्ष 2006–2007 तक लागू हो चुकी थी । उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ वैट लागू नहीं किया गया था। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से पिछली सरकार प्रदेश में वैट लागू करने से कतराती रही । विश्व स्तर पर यह एक स्थापित मान्यता है कि वैट एक पारदर्शी कर प्रणाली है जिसमें कर अपवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। अतः प्रदेश में 01 जनवरी, 2008 से वैट लागू कर दिया गया है । इस प्रकार उत्तर प्रदेश भी आर्थिक मुख्य धारा में शामिल हो गया है तथा इस कर का नाम अब वाणिज्य कर हो गया है । इस नई व्यवस्था से प्रदेश के उपभोक्ता, किसान, व्यापारी एवं उद्योगों को लाभ होगा ।

सरकार ने निर्माण कार्यों में अराजकतत्वों एवं माफ़िया के दखल को समाप्त करने तथा टेण्डर की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से "इलेक्ट्रॉनिक टेण्डर प्रणाली" लागू की गई है जिससे

अब टेण्डर एवं ठेकेदारी प्रक्रिया में माफ़ियाराज समाप्त होगा और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी भयमुक्त होकर टेण्डर के लिए आवेदन कर सकेगा । साथ ही, टेण्डर में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा सुनिश्चित होने के परिणामस्वरूप न्यूनतम दरों पर काम कराना संभव होगा और सरकारी धन की बचत होगी ।

सामान्य आर्थिक परिवेश

वर्तमान में देश की प्रति व्यक्ति आय तथा प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर लगभग 52 प्रतिशत है । इस अन्तर को कम करने हेतु आगामी 10 वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दो गुना करने का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है जिसमें कृषि क्षेत्र में विकास दर 5.7 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 11.5 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 12.4 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य है ।

विकास दर में अपेक्षित वृद्धि के लिए पूँजी निर्माण एवं अवस्थापना का विकास सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं । विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगभग 8.11 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी जिसमें से 5.75 लाख करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से तथा 2.36 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र से जुटाये जाने का लक्ष्य है ।

प्रदेश में बिजली की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगभग

पैंसठ हजार करोड़ रुपये (65000 करोड़ रुपये) के निवेश से साढ़े दस हजार मेगावॉट (10500 मेगावॉट) अतिरिक्त बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । पाँच सौ से अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने एवं सभी राजमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों को इण्डियन रोड काँग्रेस के मानक के अनुसार उत्तम गुणवत्ता वाले दो लेन के मार्गों के रूप में विकसित किया जायेगा । सतही जल से सिंचाई के वर्तमान स्तर 21 प्रतिशत को बढ़ाकर 33 प्रतिशत किया जायेगा । सृजित सिंचन क्षमता तथा उसके उपयोग के अन्तर में 60 प्रतिशत की कमी लायी जायेगी ।

ग्यारहवीं योजनाकाल में प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रोजगार सृजन, साक्षरता में वृद्धि तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना आवश्यक है ।

रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । ग्यारहवीं योजना अवधि में कम से कम सवा करोड़ नये रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है । ग्यारहवीं योजना के लिए 85 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है । शिक्षा में जेण्डर गैप को वर्तमान स्तर 26.6 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । महिलाओं में रक्तअल्पता के वर्तमान स्तर 48.7 प्रतिशत को घटाकर 20 प्रतिशत पर लाया जायेगा । शिशु मृत्यु दर के

वर्तमान स्तर 73 प्रति हजार को घटाकर 36 प्रति हजार, मातृ मृत्यु दर के वर्तमान स्तर 517 को घटाकर 258 प्रति लाख पर लाये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रस्तुत बजट, विकास के इन लक्ष्यों और सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास की कार्ययोजना का दस्तावेज है जिसमें अवस्थापना, विशेष रूप से ग्रामीण अवस्थापना के विकास पर बल दिया गया है । साथ ही, प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करने और शहरी अवस्थापना को सुदृढ़ बनाने के लिए कई योजनायें बजट में प्रस्तावित हैं जिनका उल्लेख मैं आगे करूँगा । इसके पूर्व, वित्तीय वर्ष 2008–2009 के बजट के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा ।

- वर्ष 2008–2009 में बजट का आकार एक लाख बारह हजार चार सौ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख रुपये (112472.72 करोड़ रुपये) है जो पिछले वर्ष के बजट से 11 प्रतिशत अधिक है ।

- वर्ष 2008–2009 के बजट में बारह हजार आठ सौ एक करोड़ अट्ठारह लाख रुपये (12801.18 करोड़ रुपये) की 212 नई योजनायें प्रस्तावित हैं । नई योजनाओं के लिए की गई व्यवस्था पिछले साल के बजट में नई योजनाओं के लिए की गई व्यवस्था से 44 प्रतिशत अधिक है ।

- प्रदेश में अवस्थापना विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत

बाईस हजार पाँच सौ चौवन करोड़ दस लाख रुपये (22554.10 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है ।

- वर्ष 2008–2009 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष है । प्रदेश के संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु आयोजनागत योजनाओं के लिए अड़तीस हजार पाँच सौ अड़सठ करोड़ पैंतीस लाख रुपये (38568.35 करोड़ रुपये) का प्राविधान किया गया है जो वर्ष 2007–2008 के आयोजनागत बजट से 25 प्रतिशत अधिक है ।

- वर्ष 2008–2009 के बजट में दस हजार नौ सौ सतहत्तर करोड़ अड़सठ लाख रुपये (10977.68 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है जो वर्ष 2007–2008 के बजट में अनुमानित राजस्व बचत छः हजार एक सौ छियालिस करोड़ बत्तीस लाख रुपये (6146.32 करोड़ रुपये) से चार हजार आठ सौ इकत्तीस करोड़ छत्तीस लाख रुपये (4831.36 करोड़ रुपये) अधिक है ।

- राजकोषीय घाटा ग्यारह हजार छः सौ अट्ठान्वे करोड़ इक्यान्वे लाख रुपये (11698.91 करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है जो वर्ष 2007–2008 के मूल बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटे से सात सौ पचासी करोड़ उन्यासी लाख रुपये (785.79 करोड़ रुपये) कम है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष

बाईस हजार पाँच सौ चौवन करोड़ दस लाख रुपये (22554.10 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है ।

- वर्ष 2008–2009 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष है । प्रदेश के संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु आयोजनागत योजनाओं के लिए अड़तीस हजार पाँच सौ अड़सठ करोड़ पैंतीस लाख रुपये (38568.35 करोड़ रुपये) का प्राविधान किया गया है जो वर्ष 2007–2008 के आयोजनागत बजट से 25 प्रतिशत अधिक है ।

- वर्ष 2008–2009 के बजट में दस हजार नौ सौ सतहत्तर करोड़ अड़सठ लाख रुपये (10977.68 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है जो वर्ष 2007–2008 के बजट में अनुमानित राजस्व बचत छः हजार एक सौ छियालिस करोड़ बत्तीस लाख रुपये (6146.32 करोड़ रुपये) से चार हजार आठ सौ इकत्तीस करोड़ छत्तीस लाख रुपये (4831.36 करोड़ रुपये) अधिक है ।

- राजकोषीय घाटा ग्यारह हजार छः सौ अट्ठान्वे करोड़ इक्यान्वे लाख रुपये (11698.91 करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है जो वर्ष 2007–2008 के मूल बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटे से सात सौ पचासी करोड़ उन्यासी लाख रुपये (785.79 करोड़ रुपये) कम है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष

2008–2009 के बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा 2.98 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2007–2008 में यह 3.60 प्रतिशत था ।

इस प्रकार बजट में विकास योजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों का यथेष्ट एवं संतुलित आवंटन करने के साथ–साथ प्रदेश की राजकोषीय स्थिति पर अनुशासन भी सुनिश्चित किया गया है ।

वर्ष 2008–2009 के बजट में सम्मिलित मुख्य योजनायें

इससे पहले कि मैं विभागवार बजट प्रावधानों की चर्चा करूँ, वर्ष 2008–2009 के बजट में सम्मिलित कुछ मुख्य योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूँगा ।

सामाजिक सुरक्षा

- मान्यवर, यह सरकार गरीबों, पिछड़ों और समाज के कमजोर तबकों के कल्याण के प्रति अत्यन्त सजग और संवेदनशील है । निराश्रित विधवायें, वृद्ध और विकलांग समाज के सबसे कमजोर वर्ग में आते हैं। इनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा पेंशन बाँटी जाती है । अभी तक योजना का लाभ पाने हेतु वे व्यक्ति पात्र थे जिनकी मासिक आय 1,000 रुपये तक हो अथवा जिनके पास सवा तीन एकड़ से कम भूमि हो । पात्रता की श्रेणी में आने वाले समस्त व्यक्ति योजना से आच्छादित नहीं हो सके थे । हमारी सरकार द्वारा पात्रता हेतु आय सीमा बढ़ाकर गरीबी रेखा

तक कर दी गयी है तथा समस्त पात्र व्यक्तियों को योजना से आच्छादित किया जा रहा है । इसके फलस्वरूप लगभग 28 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को पेंशन से आच्छादित कर लिया जायेगा । वर्ष 2008–2009 में इस हेतु नौ सौ इकसठ करोड़ रुपये (961 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है । पहले यह योजना कुछ जनपदों में पायलट आधार पर लागू की जायेगी जिसके लिए पन्द्रह करोड़ रुपये (15 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । इस योजना को कमिक रूप से प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू किया जायेगा ।

अवस्थापना

- गंगा नदी के बाँये किनारे बलिया से नोएडा तक आठ लेन एक्सप्रेस–वे का निर्माण पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर किया जाएगा । परियोजना की अनुमानित लागत 40 हजार करोड़ रुपये है । परियोजना हेतु विकासकर्ता का चयन किया जा चुका है । इस विशाल परियोजना का क्रियान्वयन विकासकर्ता द्वारा पूर्णतः अपने संसाधनों से किया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना हेतु एक नवीन पुनर्वास नीति भी बनाई गई है जिसके अन्तर्गत

नाली के स्थान पर सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा । इस हेतु वर्ष 2008–2009 के बजट में एक हजार करोड़ रुपये (1000 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 में दो हजार दो सौ छियालीस करोड़ रुपये (2246 करोड़ रुपये) की धनराशि से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिससे 2376 बसावटों को सर्व ऋतु मार्गों से जोड़ा जा सकेगा।

- ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु एक हजार अस्सी करोड़ रुपये (1080 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 3500 किलोमीटर लम्बाई मे पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर 1000 ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ा जायेगा ।

- डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना में चयनित 3800 ग्राम सभाओं को सम्पर्क मार्गों से संतृप्त करने हेतु एक हजार दो सौ छः करोड़ रुपये (1206 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । इस धनराशि से 4000 किलोमीटर लम्बाई में पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जायेगा ।

- ऐसे ग्रामीण सम्पर्क मार्गों जिनकी दशा अत्यन्त खराब हो गई है तथा जो चलने योग्य नहीं रह गये हैं, के पुनर्निर्माण / जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2008–2009 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के

अन्तर्गत एक सौ पचास करोड़ रुपये (150 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है । इस धनराशि से लगभग 4500 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों का पुनर्निर्माण / जीर्णोद्धार किया जायेगा ।

- डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में वर्ष 2008–2009 में 3800 ग्राम सभाओं में अपूर्ण / अधूरे मरम्मत कार्यों को पूर्ण कराकर संतृप्त किया जायेगा जिस पर लगभग दो सौ सैंतीस करोड़ रुपये (237 करोड़ रुपये) का व्यय अनुमानित है । ग्राम सभाओं का संतृप्तीकरण माह मार्च, 2009 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

- अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 में दो सौ करोड़ रूपये (200 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं आवासहीन परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 में दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) राज्यांश की व्यवस्था की गई है ।

- आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब / जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार कराया जा रहा है जिसके लिए वर्ष 2008–2009 में पच्चीस

करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की बस्तियों में 150 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प के मानक की दृष्टि से पेयजल सुविधा प्रदान की जा रही है । इसके अतिरिक्त गुणता प्रभावित ग्रामों के लिए पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे हैं ।

शहरी अवस्थापना

- सरकार द्वारा जहाँ एक ओर ग्रामीण अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव के समक्ष शहरी अवस्थापना के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना प्रारम्भ की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत अवस्थापना विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगारपरक योजनाओं से शहरी क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से संतृप्त किया जायेगा । इनमें मुख्यतः आवास, पेयजल, जल निस्तारण, सीवर, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युतीकरण, सड़क, सफाई व्यवस्था इत्यादि की योजनायें सम्मिलित हैं । योजना हेतु वर्ष 2008–2009 में पाँच सौ करोड़ रुपये (500 करोड़ रुपये) की एकमुश्त व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- लखनऊ नगर के समग्र विकास के लिए लखनऊ में उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर कार्य कराये जायेंगे । इन कार्यों में सड़कों का निर्माण, यातायात सुविधाओं का विकास, जलापूर्ति, सीवेज निस्तारण, जल निकास, विद्युतीकरण, जनसुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना आदि प्रस्तावित हैं । ऐसी योजनायें जिनमें पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है उनके कार्यान्वयन हेतु दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- वर्ष 2008–2009 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु तीन सौ तिरासी करोड़ रुपये (383 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिसमें से पचपन करोड़ रूपये (55 करोड़ रुपये) की व्यवस्था अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों हेतु है ।

- वित्तीय वर्ष 2008–2009 में दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) के प्रस्तावित प्रावधान से उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जायेगा जिसमें पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) का प्रावधान अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए है ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवार कल्याण एवं मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में दो **सौ पैंतीस** करोड़ रुपये (235 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । योजना हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि लगभग एक हजार तीन सौ तीस करोड़ रुपये (1330 करोड़ रुपये) भी उपलब्ध होगी ।

- विभिन्न जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों हेतु लगभग छः सौ चौरानवे करोड़ रूपये (694 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है । इसमें से छः सौ चौबीस करोड़ रूपये (624 करोड़ रुपये) की व्यवस्था स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत है ।

शिक्षण संस्थायें

- वर्ष 2008–2009 में 2500 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 4000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा बच्चों के बैठने के लिए 15000 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है ।

- बालिका शिक्षा के विस्तार के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे असेवित विकास खण्ड जहाँ पर कोई भी बालिका हाई स्कूल / इण्टर कालेज संचालित नहीं हैं, वहाँ पर बालिका शिक्षा हेतु वर्ष 2008–2009 में 30 नये राजकीय बालिका विद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है ।

- विभिन्न कारणों से विद्यालयों में अध्ययन न कर पाने वाले बच्चों के लिए घर बैठकर माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना प्रस्तावित है ।

- प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विस्तार एवं प्रसार हेतु नये राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना, पॉलीटेक्निकों में छात्रावास के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु छियालिस करोड़ रुपये (46 करोड़ रुपये) की नई योजनायें तथा प्रदेश की सात स्वायत्तशासी अभियन्त्रण संस्थाओं में अवस्थापना विकास के लिए पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) की नई योजना प्रस्तावित है । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दो इंजीनियरिंग कालेज तथा 12 आई.टी. पॉलीटेक्नीकों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए छत्तीस करोड़ रूपये (36 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है । इसमें से एक आई.टी. पॉलीटेक्नीक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खोला जायेगा ।

- प्रदेश में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि महाविद्यालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण तथा शोध परियोजनाओं / कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक सौ पंचानवे करोड़ रुपये (195 करोड़ रुपये) की नई योजनायें प्रस्तावित हैं ।

रोजगारपरक योजनायें

- प्रदेश में दुग्ध विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008–2009 में डॉ0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की जा रही है । योजना के प्रथम चरण में लगभग 1.10 लाख इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । योजना हेतु दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- 30 हजार बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा 61 करोड़ मीटर हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

- वर्ष 2008–2009 में 6500 नयी ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य है जिससे 52000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे ।

- ग्रामीण उद्योग रोजगार सृजन योजना (मार्जिन मनी) के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 हेतु 2200 इकाइयों की स्थापना से 39,600 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

- प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 88000 रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

बुन्देलखण्ड का विकास

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लगभग 78 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं । बुन्देलखण्ड क्षेत्र गत 4 वर्षों से सूखाग्रस्त है जिससे इन किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी है । बुन्देलखण्ड के सभी सातों जनपदों में किसानों पर बैंकों के कृषि ऋण पर बकाया ब्याज को माफ किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत तीन सौ करोड़ रुपये (300 करोड़ रुपये) व्यय होने का अनुमान है । शुरूआती तौर पर वित्तीय वर्ष 2008–2009 के बजट में इस योजना हेतु सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । भविष्य में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली जायेगी ।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल की कमी को देखते हुए सिंचाई की नयी तकनीक "ड्रिप इरीगेशन प्रणाली" लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस प्रणाली में स्प्रिंकलर एवं ड्रिप से थोड़ा–थोड़ा पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है । सिंचाई की इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सर्वसमाज के लघु और सीमान्त किसानों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी किसानों के लिए शासकीय व्यय पर इन यंत्रों को लगाने की योजना है । बाकी श्रेणी के किसानों को इन यंत्रों की खरीद पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा । इस योजना को लागू करने के लिए लगभग चार सौ करोड़ रुपये

(400 करोड़ रुपये) की आवश्यकता होगी । शुरूआती तौर पर वित्तीय वर्ष 2008–2009 के बजट में इस योजना हेतु सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । भविष्य में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली जायेगी ।

- सूखे के कारण बुन्देलखण्ड में नहरों में पानी की बहुत कमी हो गई है इसलिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन नहरों में पानी नहीं पहुँच पाता है उनके आसपास समूह में नलकूप लगाकर पानी की कमी को पूरा किया जायेगा । इस योजना पर लगभग चालीस करोड़ रुपये (40 करोड़ रुपये) व्यय होंगे ।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि के लिए मौसम बीमा योजना भी लागू की जायेगी । इस योजना में सूखे से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी द्वारा की जायेगी ।

- बुन्देलखण्ड में सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की लागत से एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसमें यहाँ की जलवायु, जमीन तथा अन्य विशिष्टताओं के आधार पर कृषि सम्बन्धी अनुसंधान कार्य भी किया जायेगा ।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बाँदा जिले में तीन सौ पचास करोड़ रुपये (350 करोड़ रुपये) की लागत से "बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज" और झाँसी में "मान्यवर श्री कांशीराम जी

पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज" का निर्माण किया जा रहा है ।

- बुन्देलखण्ड एवं प्रदेश के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पूँजीगत कार्यों हेतु सौ करोड़ रूपये (100 करोड़ रूपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु तीन सौ तीस करोड़ रूपये (330 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विशेष योजना लायी जा रही है जिसमें वृहत निर्माण, शहरी जलापूर्ति, ग्रामीण जलापूर्ति, भू–जल संग्रह आदि कार्य कराये जायेंगे । योजना हेतु वर्ष 2008–2009 के बजट में डेढ़ सौ करोड़ रूपये (150 करोड़ रूपये) की व्यवस्था की गई है ।
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम हेतु वर्ष 2008–2009 के बजट में सात सौ करोड़ रूपये (700 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । इसमें से बुन्देलखण्ड के जनपदों हेतु भी धनराशि उपलब्ध होगी ।

शान्ति व्यवस्था

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण उत्पन्न करते हुए कानून का राज कायम किया गया है । गुण्डागर्दी,

माफ़ियागर्दी व समाज में अशान्ति फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर समयबद्ध रूप से निष्पक्ष कार्यवाही की गई है । परिणामस्वरूप वर्ष 2007 में वर्ष 2006 की तुलना में डकैती में 22 प्रतिशत, लूट में 43.3 प्रतिशत, हत्या में 19.1 प्रतिशत, बलवा में 20.7 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 25 प्रतिशत एवं फिरौती के लिए अपहरण में 42.3 प्रतिशत की कमी आई है । अनुसूचित जाति / जनजाति उत्पीड़न संबंधी मामलों में 10.85 प्रतिशत की कमी आई है ।

नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र, मिर्ज़ापुर एवं चन्दौली में पुलिस तथा पी.ए.सी. में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य कार्मिकों की भाँति उनके मूलवेतन का 30 प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

प्रदेश में माफ़िया गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त ज़ारी किये गये हैं जिसके अन्तर्गत ऐसे सरकारी कार्य जिनकी लागत दो लाख रुपये या उससे अधिक हो, से संबंधित ठेकों अथवा निविदा को राज्य सरकार के सभी विभाग अथवा उसकी स्थानीय इकाइयों एवं निगमों द्वारा स्वीकार किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र / चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य बनाया गया है ।

विशेष जोखिम भरे कार्यों के दौरान एवं सक्रिय सेवा करते समय मृत 29 पुलिस कर्मियों के आश्रितों को एक करोड़ बहत्तर लाख रुपये की अनुग्रह

धनराशि तथा 18 घायलों को लगभग छः लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई ।

उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं निर्माण कार्यों के लिये 2008–2009 के बजट में दो सौ छियासी करोड़ रुपये (286 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके माध्यम से वाणिज्य कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्री कर, मनोरंजन कर, भू–राजस्व आदि की वसूली होती है ।

वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश में 01 जनवरी, 2008 से मूल्य संवर्धित कर प्रणाली (वैट) लागू कर दी गई है जिससे प्रदेश के उपभोक्ता, किसान, व्यापारी एवं उद्योगों को लाभ होगा ।

किसानों को लाभ

इस प्रणाली के अन्तर्गत कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले वॉटर पम्प, टैक्ट्रर, हार्वेस्टर, थ्रेशर तथा रासायनिक खाद एवं कीटनाशक पर कर की दर को घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है । सभी प्रकार के बीजों एवं मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ) को कर मुक्त किया गया है ।

सामान्य जन को लाभ

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा मिट्टी के तेल पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत तथा सभी प्रकार के दुग्ध उत्पाद, दवाओं, सायकिल, माचिस पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर निर्धारित की गई है ।

उद्योगों को बढ़ावा

उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैपिटल गुड्स पर दिये गये कर को वापस या समायोजित किये जाने तथा कच्चे माल पर दिये गये कर की वापसी के समायोजन का प्रावधान किया गया है । निर्यात / अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर कर भार समाप्त कर दिया गया है । सूचना प्रौद्योगिकी की वस्तुओं पर कर की दर 4 प्रतिशत की गई है ।

व्यापारियों के हित में

छोटे व्यापारियों को कर के दायरे से बाहर रखने के लिए पंजीयन सीमा दो / तीन लाख से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दी गई है । कर मुक्ति के फार्म (3क, 3ख, 3ग व 3घ) समाप्त कर दिये गये हैं । पंजीयन के लिए अलग से "रजिस्टरिंग ॲथारिटी" का गठन कर दिया गया है जिसके द्वारा 30 दिन के भीतर पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण की व्यवस्था है । मासिक कर व नक्शा देने वाले व्यापारियों के लिए विक्रय धन की सीमा दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है जिससे कम व्यापारियों को मासिक नक्शा देना पड़ेगा ।

सामान्य जन को लाभ

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा मिट्टी के तेल पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत तथा सभी प्रकार के दुग्ध उत्पाद, दवाओं, सायकिल, माचिस पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर निर्धारित की गई है ।

उद्योगों को बढ़ावा

उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैपिटल गुड्स पर दिये गये कर को वापस या समायोजित किये जाने तथा कच्चे माल पर दिये गये कर की वापसी के समायोजन का प्रावधान किया गया है । निर्यात / अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर कर भार समाप्त कर दिया गया है । सूचना प्रौद्योगिकी की वस्तुओं पर कर की दर 4 प्रतिशत की गई है ।

व्यापारियों के हित में

छोटे व्यापारियों को कर के दायरे से बाहर रखने के लिए पंजीयन सीमा दो / तीन लाख से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दी गई है । कर मुक्ति के फार्म (3क, 3ख, 3ग व 3घ) समाप्त कर दिये गये हैं । पंजीयन के लिए अलग से "रजिस्टरिंग ॲथारिटी" का गठन कर दिया गया है जिसके द्वारा 30 दिन के भीतर पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण की व्यवस्था है । मासिक कर व नक्शा देने वाले व्यापारियों के लिए विक्रय धन की सीमा दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है जिससे कम व्यापारियों को मासिक नक्शा देना पड़ेगा ।

शत प्रतिशत वादों का स्वतः कर निर्धारण किये जाने की व्यवस्था है । व्यापारियों के विरूद्ध अभियोजन के प्रावधान समाप्त कर दिये गये हैं ।

अन्य राज्यों में वैट व्यवस्था के लागू होने के बाद कर राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुये इस बात की पूरी संभावना है कि वैट लागू होने से राज्य सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी ।

आबकारी

आबकारी शुल्क प्रदेश के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से है। उत्तर प्रदेश में मदिरा व्यवसाय पर बड़े ठेकेदार का एकाधिकार समाप्त करने, नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने व प्रदेश के राजस्व में आशानुकूल वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति लागू की गई है ।

स्टाम्प एवं निबंधन

लेख पत्रों का पंजीकरण एवं उन्हें दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था को उत्तरोत्तर पारदर्शी, त्वरित, आधुनिक, सरल एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाने हेतु सरकार कटिबद्ध है । इस निमित्त विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है । निबन्धन विभाग के कार्यालयों हेतु तहसील मुख्यालयों तथा अन्य छूटे हुए जिला मुख्यालयों में निबन्धन भवनों का निर्माण कराया जाना भी वर्ष 2008–2009 में प्रस्तावित है ।

मनोरंजन कर

प्रदेश में मनोरंजन कर की आय का लगभग 70 प्रतिशत छविगृहों / मल्टीप्लेक्स से प्राप्त होता है । शेष 30 प्रतिशत अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य रूप से केबिल टी.वी. नेटवर्क एवं वीडियो लाइब्रेरी इत्यादि हैं । जनता को आधुनिक तकनीक से युक्त मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु नये मल्टीप्लेक्स छविगृह खोलने के लिए मल्टीप्लेक्स में फिल्म के प्रथम प्रदर्शन से प्रथम तीन वर्ष तक 100 प्रतिशत एवं आगामी 2 वर्षो तक 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया गया है । प्रदेश में बंद पड़े छविगृहों को तोड़कर सिनेमाहॉल सहित व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण करने वाले छविगृहों हेतु प्रोत्साहन योजना लागू है ।

वित्तीय वर्ष 2008–2009 में मनोरंजन कर विभाग की मुख्य प्राथमिकता बन्द छविगृहों को पुनः आधुनिक तकनीक से युक्त कर संचालित कराने तथा प्रदेश में मल्टीप्लेक्स संचालित कराने की है । इसके साथ ही डी.टी.एच. के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले मनोरंजन को कर के दायरे में लाने की योजना है ।

परिवहन

सरकार का यह प्रयास है कि जहाँ जन सामान्य हेतु माल ढुलाई एवं यात्रियों को सुविधा देने हेतु आवश्यक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो, वहीं मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य को राजस्व की प्राप्ति हो ।

प्रमुख महानगरों के मध्य शताब्दी श्रेणी की द्रुतगामी वातानुकूलित बसों का संचालन सफलतापूर्वक प्रारम्भ किया गया है । इन बसों में समाचार पत्र, मिनरल वाटर, टेलीविजन एवं चलचित्र आदि की व्यवस्था है ।

नोएडा, कानपुर एवं लखनऊ में सी.एन.जी. बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है । उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से निर्मित फैसिलिटी सेण्टर, "मयूर क्लासिक" आरम्भ किया जा रहा है ।

ग्राम्य विकास

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं जिनमें रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । डॉ0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के माध्यम से गरीबी की रेखा से आंशिक रूप से ऊपर वाले परिवारों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । आवास विहीन गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जायेंगे ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना वर्तमान में 39 जनपदों में चल रही है । वर्ष 2008–2009 में यह योजना पूरे प्रदेश में संचालित हो जायेगी । वित्तीय वर्ष 2008–2009 में इस योजना के लिए तीन सौ करोड़ रुपये (300 करोड़ रुपये) राज्यांश की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना हेतु वर्ष 2008–2009 में छः सौ तीस करोड़ रुपये (630 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले ग्रामों में सामुदायिक हॉल के निर्माण हेतु वर्ष 2008–2009 में बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कृषि

वर्ष 2008–2009 में कृषि उत्पादन में 497 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें खरीफ में 172 लाख मीट्रिक टन एवं रबी में 325 लाख मीट्रिक टन सम्मिलित है । उक्त के अतिरिक्त 12 लाख मीट्रिक टन तिलहनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में कृषि क्षेत्र में अभीष्ट विकास दर प्राप्त किये जाने हेतु कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा किसानों की आय में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए वर्ष 2008–2009 के बजट में दो सौ तिरासी करोड़ रुपये (283 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश के समस्त जनपदों में समस्याग्रस्त भूमि को उत्पादक बनाने की दृष्टि से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बहुआयामी किसान हित योजना क्रियान्वित की जा रही है । आठ सौ नब्बे करोड़ रुपये (890

करोड़ रुपये) की लागत वाली इस परियोजना के माध्यम से 5 वर्षों में 7 लाख हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने का लक्ष्य रखा गया है । योजना के क्रियान्वयन से लगभग सवा सात करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे । योजना हेतु वर्ष 2008–2009 के बजट में एक सौ सत्तर करोड़ रूपये (170 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में आ रहे ठहराव के दृष्टिगत कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार को और प्रभावी बनाये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2008–2009 में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु दो सौ नब्बे करोड़ रुपये (290 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कृषि विश्वविद्यालयों तथा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार से संबंधित अवस्थापनाओं के सुदृढ़ीकरण, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नये विषयों पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत बेसिक साइंस, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, गृह विज्ञान, औद्यानिकी, इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी तथा फूड प्रॉसेसिंग, पशु चिकित्सा विज्ञान, डेरी टेक्नोलॉजी आदि विषयों के नये महाविद्यालयों तथा शोध केन्द्रों की स्थापना की जायेगी ।

पंचायतीराज

विगत 18 वर्षों से ग्राम पंचायतों की आबादी के अन्दर खड़ंजा / नाली का निर्माण कराया जाता रहा है, परन्तु उनके रख–रखाव हेतु अत्यधिक धनराशि अपेक्षित होती है और रख–रखाव सुविधाजनक भी नहीं पाया गया है । इसलिए हमारी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में खड़ंजा / नाली के स्थान पर सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा । वर्ष 2008–2009 में योजना के अन्तर्गत चयनित की जाने वाली 3800 ग्राम सभाओं में लगभग 30,400 किलोमीटर सी.सी. रोड तथा 45,600 किलोमीटर के.सी. ड्रेन का निर्माण प्रस्तावित है । बजट में इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये (1000 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्ष 2008–2009 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के दस लाख लाभार्थियों तथा गरीबी रेखा के ऊपर के एक लाख लाभार्थियों के लिये व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु एक सौ अड़तीस करोड़ रुपये (138 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वर्ष 2008–2009 में लगभग चार हजार पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य है जिसके लिए एक सौ चौदह करोड़ रुपये (114 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सहकारिता

किसानों के आर्थिक विकास में सहकारी साख संस्थाओं की विशिष्ट भूमिका रही है । उत्तर प्रदेश में 50 जिला सहकारी बैंक एवं 7479 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ हैं जिनमें से समस्त बैंक एवं अधिकांश समितियाँ हानि में हैं। सहकारी ऋण ढाँचे के पुनरूद्धार तथा आर्थिक रूप से इसे सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रोफेसर वैद्यनाथन समिति की संस्तुतियों के आधार पर तैयार किये गये रिवाइवल पैकेज को लागू किये जाने के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार एवं नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है । इस पैकेज में सहकारी ऋण ढाँचे में संस्थागत सुधार के साथ–साथ सहकारी बैंकों एवं समितियों की हानियों को समाप्त किये जाने हेतु अनुदान दिया जाना है । तदनुसार इस हेतु वर्ष 2008–2009 के बजट में डेढ़ सौ करोड़ रुपये (150 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

हमारी सरकार की प्राथमिकता गन्ना किसानों को बकाये गन्ना मूल्य का यथाशीघ्र भुगतान कराने की है जिससे किसानों का हित प्रभावित न हो ।

किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान में लापरवाही करने वाली कई चीनी मिलों के खिलाफ कठोर कदम उठाये गये हैं तथा भारतीय दण्ड संहिता एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है । मिल मालिकों की सीधी जवाबदेही तय करने के

लिए उन्हें मिल का अध्यासी बनाकर कार्यवाही की जा रही है । सरकार का पूरा प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले तथा उनकी खुशहाली बढ़े ।

गन्ना पेराई सत्र 2006–2007 में कुल 133 चीनी मिलें संचालन की स्थिति में रहीं थीं । वर्तमान पेराई सत्र 2007–2008 में नौ नई चीनी मिलें गन्ना पेराई का कार्य पहली बार प्रारम्भ करने जा रही हैं । इस प्रकार इस वर्ष कुल कार्यरत चीनी मिलों की संख्या 133 से बढ़कर 142 हो जायेगी ।

लघु सिंचाई

वर्ष 2008–2009 में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम में तिरासी करोड़ रुपये (83 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे दो लाख निःशुल्क बोरिंग किये जाने का लक्ष्य है ।

लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 2400 गहरे नलकूप, 4706 मध्यम गहरी बोंरिंग, 192 इनवेल बोरिंग, 400 ब्लास्टवेल निर्माण/ ब्लास्टकूप को गहरा करना, 1000 सतही पम्पसेट, 100 आर्टीजन कूप, 88 चेकडैम के कार्य प्रस्तावित हैं । इसके अतिरिक्त जनपद महोबा में 198 सामुदायिक ब्लास्टकूपों का निर्माण एवं गहरा करना प्रस्तावित है ।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना के अन्तर्गत कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में 400 नलकूप निर्माण कराने का लक्ष्य है जिसके लिए सत्रह करोड़ रुपये (17 करोड़ रुपये) तथा डॉ0 अम्बेडकर

सामुदायिक नलकूप योजना में 200 गहरे नलकूपों के निर्माण हेतु चार करोड़ तीस लाख रुपये (4.30 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

भूमि विकास एवं जल संसाधन

समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–2009 में एक लाख चौदह हजार हेक्टेयर का लक्ष्य प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है । इस कार्य से वर्ष 2008–2009 में 54 लाख मानव दिवस का सृजन अनुमानित है जिसमें अनुसूचित जाति / जनजाति हेतु लगभग 11 लाख मानव दिवस सम्मिलित हैं ।

वर्ष 2008–2009 में सूखा बाहुल्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे एक लाख बारह हजार हेक्टेयर क्षेत्र के उपचारण का लक्ष्य है ।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

अवस्थापना परियोजनाओं के त्वरित विकास हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने, वृहद परियोजनाओं को बढ़ावा देने एवं इनके समुचित अनुश्रवण हेतु सरकार द्वारा पृथक विभाग "अवस्थापना विकास विभाग" का गठन किया गया है । साथ ही, अवस्थापना विकास के लिए पाँच अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं – कृषकों का सशक्तीकरण, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, नगरीय पुनरूत्थान, उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था एवं विश्व स्तरीय सड़क अवस्थापना ।

प्रदेश में निजी निवेशकों की अधिकाधिक सहायता लेकर अवस्थापना विकास हेतु पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप नीति पारित की गई है जिसके तहत नयी परियोजनायें आनी प्रारम्भ हो गई हैं ।

जैसा मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, गंगा नदी के बाँये किनारे बलिया से नोएडा तक आठ लेन एक्सप्रेस–वे का निर्माण पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त, चार अन्य महत्वपूर्ण लिंक एक्सप्रेस–वे गाजियाबाद से सहारनपुर – मोहांड, झाँसी से कानपुर – लखनऊ – गोरखपुर – कुशीनगर तक, आगरा से कानपुर तक एवं बिजनौर से मुरादाबाद – फतेहगढ़ तक का निर्माण कार्य भी पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर किया जायेगा ।

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नीति को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (संशोधित) नीति, 2007 जारी की गई है जिसके तहत विकासकर्ता के चयन हेतु पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है ताकि किसानों की जमीनों का जबरदस्ती अधिग्रहण न हो ।

प्रदेश में सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) या अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु वर्ष 2008–2009 के बजट में डेढ़ सौ करोड़ रुपये (150 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ऊर्जा

विद्युत उत्पादन में वृद्धि किये जाने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र में 10,500 मेगावॉट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008–2009 में विद्युत वितरण प्रणाली में विद्यमान वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर राजस्व वसूली में वृद्धि किये जाने के साथ–साथ "डबल मीटरिंग" एवं "आटोमेटेड मीटर रीडिंग" जैसी विशेष तकनीकी विधाओं को विभिन्न वितरण क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से लागू किये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा ।

बिजली की उपलब्धता बढ़ाये जाने को प्राथमिकता प्रदान की गई है। वर्ष 2008–2009 में बिजली परियोजनाओं हेतु दस हजार तीन सौ तीस करोड़ रुपये (10330 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2007–2008 में की गई व्यवस्था नौ हजार दो सौ नौ करोड़ रुपये (9209 करोड़ रुपये) से 12 प्रतिशत अधिक है ।

प्रदेश में वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा विद्युत उपलब्धता बढ़ाने हेतु दो हजार तीन सौ इकतालिस करोड़ रुपये (2341 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण

हेतु लगभग चार सौ उन्तीस करोड़ रुपये (429 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

बिजली उत्पादन की कई नयी परियोजनायें वर्ष 2008–2009 में प्रारम्भ की जा रही हैं जिनके लिए एक हजार एक सौ छत्तीस करोड़ रुपये (1136 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

सड़क एवं सेतु

हमारे प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है । इनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा प्रदेश के समाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा निर्मित मार्गों का सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकता है ।

वित्तीय वर्ष 2008–2009 में सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं रख रखाव हेतु छः हजार तीन सौ सैंतालिस करोड़ रुपये (6347 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक हजार पंचानवे करोड़ रुपये (1095 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 1800 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य सम्पादित कराये जायेंगे । इसमें "मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना" के अन्तर्गत शहरी मार्गों के सुधार / पुनर्निर्माण हेतु एक सौ पचहत्तर करोड़ रुपये (175 करोड़ रुपये) की व्यवस्था सम्मिलित है ।

विश्व बैंक सहायतित स्टेट रोड प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–2009 में चार सौ सत्तर करोड़ रुपये (470 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जिससे 600 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराने का लक्ष्य है ।

प्रदेश के मार्ग संजाल के समुचित रख–रखाव हेतु एक हजार दो सौ उन्तालिस करोड़ रुपये (1239 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । इस धनराशि से 25000 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों को गड्ढामुक्त किया जायेगा ।

पुलों एवं रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु पाँच सौ पचहत्तर करोड़ रुपये (575 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिसमें से चार सौ पच्चीस करोड़ रुपये (425 करोड़ रुपये) की धनराशि की व्यवस्था नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के निर्माण हेतु की गई है ।

सिंचाई

विभिन्न नहर – प्रणालियों की क्षमता की पुनर्स्थापना एवं नहरों की सफाई कराकर अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान की गई है । इस हेतु विभागीय बजट के अतिरिक्त अन्य योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना आदि से उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी किया जायेगा ।

सिंचाई कार्यों के लिये वर्ष 2008–2009 में तीन हजार सात सौ नवासी करोड़ रूपये (3789 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2007–2008 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है ।

राजकीय नलकूपों के पुनरोद्धार, आधुनिकीकरण एवं नवनिर्माण को भी वर्तमान सरकार द्वारा प्राथमिकता प्रदान की गई है, जिसके लिये वर्ष 2008–2009 के बजट में लगभग एक सौ अस्सी करोड़ रूपये (180 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

बाढ़ नियंत्रण एवं जल–उत्सारण की योजनाओं के लिए वर्ष 2008–2009 में तीन सौ सत्तर करोड़ रुपये (370 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी कार्यों को समय से पूर्ण कराने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है ।

नगर विकास

शहरों के सुनियोजित एवं समग्र विकास के लिए समयबद्ध रूप से अवस्थापना सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों से नगरों को संतृप्त करने के उद्देश्य से "मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना" प्रारम्भ की जा रही है । इनमें मुख्यतः आवास, पेयजल, जल निस्तारण, सीवर, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युतीकरण, सड़क, सफाई व्यवस्था इत्यादि से सम्बन्धित योजनायें सम्मिलित हैं । योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2008–2009 के बजट में पाँच सौ करोड़ रुपये (500 करोड़ रुपये) की एकमुश्त

व्यवस्था प्रस्तावित है । अन्य योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का भी उपयोग किया जायेगा ।

शहरी झोपड़पट्टियों में रहने वाले व्यक्तियों को बेहतर रिहायशी सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "इन्ट्रीग्रेटेड हाऊसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेण्ट योजना" कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना का उद्देश्य चिन्हित शहरी क्षेत्रों में झोपड़पट्टियों के निवासियों को रिहायशी सुविधाओं के साथ–साथ स्वस्थ वातावरण भी उपलब्ध कराना है । इस योजना के अन्तर्गत झोपड़पट्टियों का सुधार, मकानों का उन्नयन / निर्माण, जल आपूर्ति, सीवर आदि अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी । योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2008–2009 के बजट में दो सौ बयालिस करोड़ रुपये (242 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

नागर निकायों को अवस्थापना विकास कार्यों हेतु मान्यवर कांशीराम जी नगर विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 में ब्याज रहित ऋण हेतु दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । पेयजल एवं जलोत्सारण हेतु वर्ष 2008–2009 में लगभग एक सौ छिहत्तर करोड़ रुपये (176 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ऐसे नगर, जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रीन्यूअल मिशन व अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाऊन्स योजना से आच्छादित नहीं हो पाये हैं, तथा जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है, में "आदर्श नगर योजना" के

तहत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा । वित्तीय वर्ष 2008–2009 में इस योजना के संचालन हेतु सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–2009 में 20000 स्वरोजगार सृजन, 35000 लोगों को प्रशिक्षण दिये जाने, 77 डवाकुआ समूहों का गठन एवं लाभान्वित किये जाने तथा नगरीय मजदूरी योजनान्तर्गत लगभग साढ़े छः लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य है ।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

वित्तीय वर्ष 2008–2009 में 30 हजार बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा 61 करोड़ मीटर हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । बुनकरों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गयी है । योजनान्तर्गत तीन लाख बुनकरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

राज्य स्तरीय हथकरघा संगठनों की पुनर्संरचना की एकीकृत हथकरघा विकास योजना हेतु वर्ष 2008–2009 के बजट में लगभग पन्द्रह करोड़ रुपये (15 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

खादी एवं ग्रामोद्योग

वर्ष 2008–2009 में 6500 नई ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य है जिससे 52000

व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे । इसमें अनुसूचित जाति / जनजाति के लाभार्थियों के लिये 1100 इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य है जिससे अनुसूचित जाति / जनजाति के लगभग 8800 व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ होंगे ।

इसके अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण उद्योग रोजगार सृजन योजना (मार्जिन मनी) के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 हेतु 2200 इकाईयों की स्थापना से 39600 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु लगभग चौदह करोड़ रुपये (14 करोड़ रुपये) के पूँजी निवेश से 280 नई इकाईयों की स्थापना की जायेगी जिससे लगभग 6000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे ।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए पाँच हजार छः सौ छब्बीस करोड़ रुपये (5626 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2007–2008 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है । इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि एक हजार तीन सौ तीस करोड़ रुपये (1330 करोड़ रुपये) भी उपलब्ध होगी ।

औषधि एवं रसायन मद में वर्ष 2008–2009 में दो सौ चौंतीस करोड़ रुपये (234 करोड़ रुपये) की

व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2007–2008 की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है ।

वर्ष 2007–2008 में निर्माण प्रारम्भ हो चुके 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों – कौशाम्बी, जे.पी. नगर, तरवां (आजमगढ़), सिरौली गौसपुर (बाराबंकी) का निर्माण कार्य वर्ष 2008–2009 में पूर्ण कराया जायेगा ।

वर्ष 2008–2009 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु तीन सौ तिरासी करोड़ रुपये (383 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत राजकीय व मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के निःशुल्क शैय्या वार्ड में प्रसव कराने की दशा में ग्रामीण लाभार्थियों को रुपये 1400 प्रति प्रसव, शहरी लाभार्थियों को रुपये 1000 प्रति प्रसव व प्रथम दो बच्चों के घरेलू प्रसव पर रुपये 500 प्रति प्रसव का अनुदान प्रदान किया जा रहा है ।

वर्ष 2008–2009 में दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड रुपये) के प्रस्तावित प्रावधान से उपकेन्द्रों के निर्माण कराया जायेगा जिसमें से पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) का प्रावधान अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए है ।

राज्यांश के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लगभग दो सौ पैंतीस करोड़ रुपये (235 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

चिकित्सा शिक्षा

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को सेण्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस निमित्त 5 वर्षों में चार सौ सैंतालिस करोड़ रुपये (447 करोड़ रुपये) व्यय होने का अनुमान है ।

प्रत्येक 50 लाख की जनसंख्या पर एक मेडिकल कालेज के मानक को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2007–2008 में जनपद अम्बेडकर नगर, सहारनपुर एवं बाँदा में एक–एक राजकीय मेडिकल कालेज निर्माणाधीन हैं । इस निमित्त वर्ष 2008–2009 के बजट में चार सौ तिरपन करोड़ रूपये (453 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़, उरई (जालौन) एवं कन्नौज तथा जनपद झाँसी के पैरामेडिकल कॉलेज भवनों को शीघ्र पूरा कर संचालित किया जायेगा । जनपद गोरखपुर व अलीगढ़ में दो नये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा

राज्य सरकार 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कृत संकल्प है । प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जांय

तथा विद्यालयों के भौतिक परिवेश को और अधिक सुदृढ़ किया जाय । विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु वर्ष 2008–2009 में चालीस करोड़ रुपये (40 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । लगभग 85,000 स्कूल शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है । अम्बेडकर ग्रामों में स्थित लगभग 9000 परिषदीय विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण, बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के लिए कम्प्यूटर शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है तथा छात्रवृत्ति के वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की डिजिटल फोटोग्राफी कराई जा रही हैं ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे समस्त विद्यालयों, जिनमें चहारदीवारी नहीं है तथा बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में चहारदीवारी का निर्माण तथा विद्युतीकरण कराये जाने का लक्ष्य है ।

वर्ष 2008–2009 में 2500 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 4000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा बच्चों के बैठने के लिए 15000 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है ।

आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3900 शिक्षा गारण्टी केन्द्र तथा 5000 वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा केन्द्र तथा 800 आवासीय ब्रिज कोर्स व 2000 गैर आवासीय ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है ।

माध्यमिक शिक्षा

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय हेतु वर्ष 2008–2009 में साढ़े तेरह करोड़ रुपये (13.50 करोड रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

बालिका शिक्षा के विस्तार के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे असेवित विकास खण्ड जहाँ पर कोई भी बालिका हाई स्कूल / इण्टर कॉलेज संचालित नहीं हैं वहाँ पर बालिका शिक्षा हेतु वर्ष 2008–2009 में 30 नये राजकीय बालिका विद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है ।

बालक / बालिकाओं को इण्टरमीडिएट तक शिक्षा सुलभ कराने के उददेश्य से राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर तक उच्चीकरण किये जाने की योजना संचालित की जा रही है । वर्ष 2008–2009 में 11 विद्यालयों का उच्चीकरण प्रस्तावित है ।

राज्य में विभिन्न कारणों से विद्यालयों में अध्ययन न कर पाने वाले बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है जिससे वह घर पर बैठकर भी माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें । इस उद्देश्य से राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना प्रस्तावित है ।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के ऐसे जनपद, जिनमें कोई भी राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है, में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करने का लक्ष्य है ।

प्रदेश में 51 राजकीय महाविद्यालयों में बी.बी.ए. / बी.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे ।

प्रदेश के 20 शासकीय तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा के 'उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में विकसित किया जायेगा ।

प्राविधिक शिक्षा

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मान्यवर कांशीराम इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इन्फॉरमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी के नाम से उत्तर प्रदेश में दो इंजीनियरिंग कॉलेज एवं महामाया पॉलीटेक्निक ऑफ इन्फॉरमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी के नाम से 4 पालीटेक्निकों की स्थापना प्रक्रियाधीन है । वित्तीय वर्ष 2008–2009 में प्रदेश में 2 अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 12 सूचना प्रौद्योगिकी पॉलीटेक्निक की स्थापना की जायेगी ।

राजकीय पॉलीटेक्नीकों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2008–2009 के बजट में इक्कीस करोड़ रूपये (21 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

महिला एवं बाल विकास

बालिका–श्री योजना का लाभ समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । योजना के अन्तर्गत रुपये 2000 के बचत पत्र तथा रुपये 500 का दुर्घटना बीमा कराया जाता है । बालिका के माता–पिता का दुर्घटना बीमा कराये जाने पर दुर्घटना में माता अथवा पिता

किसी एक की अथवा दोनों की मृत्य होने पर रुपये 5 लाख की धनराशि बालिका के पालन पोषण हेतु मनोनीत अभिभावक को उपलब्ध करायी जायेगी एवं बालिका के नाम से क्रय किये जाने वाले रुपये 2000 के राष्ट्रीय बचत पत्र से लगभग रुपये 8000 की धनराशि बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होगी ।

निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाली निराश्रित विधवाओं को सम्मिलित कर आच्छादन बढ़ाया जा रहा है । इस योजना के लिये वर्ष 2008–2009 में सात सौ बारह करोड़ रुपये (712 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2007–2008 की तुलना में दो गुने से अधिक है ।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

वर्ष 2007–2008 के बजट में अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के अन्तर्गत लगभग चार हजार नौ सौ छियासी करोड़ रुपये (4986 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2008–2009 में सात हजार सोलह करोड़ रुपये (7016 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो 41 प्रतिशत अधिक है ।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कक्षा 12 तक उच्चीकरण कर दिया गया है ।

अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों एवं अस्वच्छ पेशे में लगे स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों की बेरोजगारी दूर करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए स्वतः रोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण / क्रय योजना, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना, डेरी योजना, ड्राई क्लीनिंग एवं लॉण्ड्री व्यवसाय हेतु ब्याजमुक्त ऋण योजना संचालित की जा रही हैं तथा अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के लिए स्वच्छकार विमुक्ति एवं उनके पुनर्वासन की योजना संचालित की जा रही है । इन योजनाओं के संचालन हेतु वर्ष 2008–2009 के बजट में दो सौ अड़तीस करोड़ रुपये (238 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये अल्पसंख्यक समुद्राय के छात्रों को छात्रवृत्ति मद में वर्ष 2008–2009 के बजट में साठ करोड़ रुपये (60 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मदरसों / मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं में लगभग 3700 प्राईमरी एवं अपर प्राईमरी शिक्षकों को लिया जाना प्रस्तावित है ।

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को लघु

उद्योग/व्यवसाय स्थापित किये जाने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी ।

समाज कल्याण

वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजनान्तर्गत पात्रता आय सीमा में वृद्धि कर बी.पी.एल. सूची के परिवारों के समस्त वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है । वित्तीय वर्ष 2008–2009 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत एक हजार चार सौ इक्यावन करोड़ रुपये (1451 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2007–2008 की तुलना में 66 प्रतिशत अधिक है ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

वित्तीय वर्ष 2008–2009 में पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आठ सौ तिरासी करोड़ रुपये (883 करोड़ रुपये) की व्यवस्था तथा पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए 14 छात्रावासों के निर्माण हेतु सात करोड़ रुपये (7 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजन की बीमारी के इलाज हेतु वर्ष 2008–2009 में बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण कराते हुए कक्षा 1 से 8 तक छात्रों को

छात्रवृत्ति की धनराशि ग्राम निधि–3 एवं कक्षा 9 या इससे ऊपर के छात्र / छात्राओं के खातों में सीधे हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी ।

विकलांग कल्याण

विकलांग व्यक्तियों के भरण–पोषण हेतु पात्रता सीमा बढ़ाकर गरीबी रेखा तक सभी पात्र व्यक्तियों को आच्छादित करते हुये इस मद में लगभग तीन सौ पाँच करोड़ रूपये (305 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । विकलांग जन में शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालयों में विकलांग जन हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिये पाँच करोड़ पचास लाख रूपये (5.50 करोड़ रूपये) तथा विकलांग जन हेतु राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्थापना हेतु छः करोड़ रूपये (6 करोड़ रूपये) की व्यवस्था की गयी है । पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर विकलांग जन हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये वर्ष 2008–2009 के बजट में एक करोड़ रूपये (1 करोड़ रूपये) की व्यवस्था की गयी है । विभिन्न शासकीय संस्थानों एवं विद्यालयों के विकलांग संवासियों के दैनिक व्यय हेतु दी जाने वाली मासिक धनराशि को पाँच सौ पचास रूपये से बढ़ाकर आठ सौ पचास रूपये किया जा रहा है ।

वन एवं पर्यावरण

प्रदेश में वनीकरण में वृद्धि सुनिश्चित करने, पर्यावरण संरचना एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के 15 जनपदों में "हाई

वैल्यू प्लान्टेशन योजना'' प्रारम्भ की जा रही है । योजना हेतु वर्ष 2008–2009 के बजट में आठ करोड़ सैतीस लाख रुपये (8.37 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश के वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के सामुदायिक सहभागिता के आधार पर दीर्धकालिक प्रबन्धन हेतु ''उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेण्ट एण्ड पावर्टी एलिविएशन परियोजना'' प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिए पचपन करोड़ रुपये (55 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं संवर्धन हेतु पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं । ताज ट्रेपेजियम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 में अस्सी करोड़ रुपये (80 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कारागार प्रशासन

वित्तीय वर्ष 2008–2009 में प्रदेश के नवसृजित जनपद बागपत, महराजगंज, कौशाम्बी एवं बलरामपुर में निर्माणाधीन जिला कारागारों में निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है । घनी आबादी के मध्य आने वाली कारागारों, जैसे कि जिला कारागार मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, रामपुर, बरेली, बदायूँ, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ एवं आदर्श कारागार, लखनऊ, नारी बन्दी निकेतन तथा सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान को शहर से बाहर स्थानान्तरित कर नवीन कारागार तथा अन्य

कारागारों में अवस्थापना विकास हेतु साठ करोड़ रुपये (60 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कारागार विहीन जनपदों, जैसे हाथरस, चित्रकूट, संत रविदासनगर, गौतमबुद्ध नगर, कुशीनगर, संत कबीरनगर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, महोबा, औरैया, चन्दौली तथा ज्योतिबाफूले नगर आदि में जिला कारागारों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।

न्याय प्रशासन

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 16 नये न्यायालयों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है । माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए उपायों को सुझाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

राजस्व

वर्तमान वर्ष में भयंकर बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से निपटने हेतु विभिन्न जनपदों को सात सौ दस करोड़ रुपये (710 करोड़ रुपये) की राशि आवंटित की गई जिसमें से सूखे से प्रभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों तथा विन्ध्याचंल मण्डल के दो जनपदों हेतु लगभग तीन सौ सत्तासी करोड़ रुपये (387 करोड़ रुपये) की धनराशि आवंटित की गई है । किसानों के मुख्य देयों की वसूली दिनांक 31 मार्च, 2008 तक स्थगित कर दी गई है ।

मण्डल / जनपद / तहसीलों में भवन निर्माण कार्यों हेतु लगभग एक सौ छियासठ करोड़ रुपये (166 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

008–2009 के बजट अनुमान

ान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2008–2009 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2008–2009 में एक लाख दस हजार आठ सौ सत्ताईस करोड़ सत्तासी लाख रुपये (110827.87 करोड़ रूपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

- कुल प्राप्तियों में पचासी हजार आठ सौ छः करोड़ पैंतीस लाख रुपये (85806.35 करोड़ रूपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा पच्चीस हजार इक्कीस करोड़ बावन लाख रूपये (25021.52 करोड़ रूपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।

- वर्ष 2008–2009 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश सड़सठ हजार उन्नीस करोड़ दस लाख रुपये (67019.10 करोड़ रूपये) है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश चौंतीस हजार सात सौ छः करोड़ दस लाख रुपये (34706.10 करोड़ रूपये) सम्मिलित है ।

व्यय

- वर्ष 2008–2009 में कुल व्यय एक लाख बारह हजार चार सौ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख रुपये (112472.72 करोड़ रूपये) अनुमानित है ।
- कुल व्यय में चौहत्तर हजार आठ सौ अट्ठाईस करोड़ सड़सठ लाख रुपये (74828.67 करोड़ रूपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा सैंतीस हजार छः सौ चौवालीस करोड़ पाँच लाख रूपये (37644.05 करोड़ रूपये) पूँजी लेखे का व्यय है ।
- वर्ष 2008–2009 के बजट में अड़तीस हजार पाँच सौ अड़सठ करोड़ पैंतीस लाख रुपये (38568.35 करोड़ रूपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2008–2009 में घाटा एक हजार छः सौ चौवालिस करोड़ पचासी लाख रूपये (1644.85 करोड़ रूपये) अनुमानित है ।

लोक लेखे से समायोजन

वर्ष 2008–2009 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये तीन हजार चार सौ पचहत्तर करोड़ साठ लाख रुपये (3475.60 करोड़ रूपये) लोक लेखे से समायोजित किये जायेंगे ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2008–2009 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम एक हजार आठ सौ तीस करोड़ पचहत्तर लाख रूपये (1830.75 करोड़ रूपये) अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2008–2009 में प्रारम्भिक शेष तीन हजार तीन सौ चौंसठ करोड़ तीस लाख रुपये (3364.30 करोड़ रूपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष पाँच हजार एक सौ पंचानवे करोड़ पाँच लाख रुपये (5195. 05 करोड़ रूपये) होना अनुमानित है ।

मान्यवर, मैं माननीया मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके कृपापूर्ण मार्गदर्शन में बजट तैयार किया गया ।

मंत्रि–परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री शेखर अग्रवाल और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का

मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2008–2009 का प्रदेश का बजट एवं दो मास का लेखानुदान प्रस्तुत करता हूँ ।

माघ 23, शक संवत् 1929,
तदनुसार,
दिनाँक : 12 फरवरी, 2008